रांची नगर निगम जल–प्रभार
एवं
गृह जल संयोजन उप–नियम – 2015

पत्रांक :–   दिनांक :–

नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची द्वारा निर्गत् **संकल्प – पत्रांक – 5/न0वि0/जला0–01/2015, ज्ञापांक – 904, दिनांक : 13.03.2015** में निहित निदेश के आलोक में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 592 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रांची नगर निगम रांची शहरी जल प्रभार एवं गृह जल संयोजन हेतु वर्ष जून' 2013 में तैयार किए गए उप नियम में आंशिक संशोधन के बाद इस प्रकार होंगे :–

1. संक्षिप्त नाम क्षेत्र एवं प्रारंभ –
   (I) यह उपनियम रांची नगर निगम जल प्रभार एवं गृह जल संयोजन उपनियम– 2015 कही जा सकेगी।
   (II) यह रांची नगर निगम क्षेत्र की अधिसीमा में प्रभावी होगी।

2. परिभाषा :– इस उपनियम में जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो,
   (a) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है –झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011
   (b) ''निगम क्षेत्र'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा रांची नगर निगम के लिए अधिसूचित क्षेत्र,
   (c) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है नगर विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची,
   (d) ''वितरण'' से अभिप्रेत है जल संवाहन का नली (पाईप) जो रांची नगर निगम की जलापूर्ति शाखा/कार्यकारी एजेंसी द्वारा नियंत्रित हो
   (e) ''अभियंता'' से अभिप्रेत है मुख्य अभियंता अथवा अधीक्षण अभियंता अथवा अन्य अभियंता जो रांची नगर निगम जलापूर्ति शाखा द्वारा अधिकृत हो
   (f) ''निर्मित क्षेत्र'' से अभिप्रेत है कुल निर्मित क्षेत्र जिसमें आच्छादित बालकोनी और गैरेज भी शामिल होगी,
   (g) ''सर्विस पाइप'' से अभिप्रेत है किसी गृह या संस्था को जलापूर्ति हेतु वितरण प्रणाली से दिये गये जल संयोजन के लिये बिछाई गई पाईप एवं अन्य फिटिंग,
   (h) ''घरेलू उपभोक्ता'' से अभिप्रेत है वैसे परिसर जो घरेलू उपभोग के लिये पेयजल का प्रयोग करता हो,
   (i) ''वाणिज्यिक उपभोक्ता'' से अभिप्रेत है वह परिसर जो सामानो के प्रदर्शन, संचयन या थोक एवं खुदरा विक्रय के लिये व्यवहृत होता हो और जिसमे भुगतान के विरूद्ध सेवा उपलब्ध होती हो,
   (j) ''औद्योगिक उपभोक्ता'' से अभिप्रेत है वह परिसर या भवन जो पूर्ण या आंशिक रूप से सामग्रीयों के उत्पादन निर्माण (फेब्रिकेशन), मरम्मति, जोड़ने (ऐसेम्बली), परिष्करण के लिये उपयोग होता हो यथा :– ऐसेम्बलीप्लांट, प्रयोगशाला, उर्जाघर (पावरप्लांट), परिष्करणशाला (रिफाइनरी), धूमघर (स्मोक हाउस), दुग्धशाला कारखाना आदि,
   (k) ''सांस्थिक एवं सरकारी उपभोक्ता'' से अभिप्रेत है वैसे उपभोक्ता जो घरेलू, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपभोक्ता की श्रेणी में नही आते हो यथा :– सभी सरकारी भवन, अर्धसरकारी भवन, लोक उपक्रम के भवन, पर्षद प्राधिकार, स्थानीय – निकाय आदि, शिक्षण संस्थान, सरकार द्वारा अथवा सरकारी अनुदान से चल रहे शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य केन्द्र (मरीज सुविधा से रहित), बैंक (निजि क्षेत्र से अलग) आदि,
   (l) वैसे उपयोग किये गये शब्द या कथन जो इस उपनियम में परिभाषित नही हो उनका तात्पर्य (अर्थ) वही होगा जैसा की इस अधिनियम में परिभाषित किया गया हो,

3. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम – 2011 की धारा 197 एवं 198 के अन्तर्गत दिए गए निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्त्तों के अधीन किसी भी वितरण पाईप से किसी भी भवन में जल संयोजन कर सकेगा अथवा करवा सकेगा अथवा अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

(क) वैसे जल संयोजन सिर्फ तभी तक किए जा सकेंगे जब तक कि जल की पूर्ण गुणशाली आपूर्ती सुनिश्चित रहे।

(ख) वैसे किसी भी जल संयोजन की स्वीकृति तब तक नहीं दी जा सकेगी जब तक की संबंधित व्यक्ति, जिसे जल संयोजन प्राप्त करना है, वह विहित प्रपत्र उसके साथ जल संयोजन के नक्शे की चार प्रतियां जिसमें सर्विस पाईप की साईज एवं प्रकार तथा प्रस्तावित सभी फिटिंग्स जिसे बिछाया तथा लगाया जाना है उसके स्थान को लाल रंग से चित्रित किया गया हो उसे संलग्न करते हुए फोटो के साथ आवेदन करेंगे। जिसमें आवासीय/पहचान पत्र पता का प्रमाण पत्र संलग्न होगा। जल संयोजन हेतु कम्प्युटरीकृत नक्शा A_4 पेपर पर Not to Scale पर उपभोक्ता स्वयं बनवाकर अपने हस्ताक्षर के साथ देंगे जिस पर पलम्बर का हस्ताक्षर नहीं रहेगा। नक्शा की जॉच पाईप लाईन निरिक्षक/कनीय अभियंता/सहायक अभियंता करेंगे। परंतु जल संयोजन स्वीकृत हो जाने के बाद रांची नगर निगम में सूचीबद्ध किसी भी पलम्बर से जल संयोजन कराया जा सकता है।

(ग) जल संयोजन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित आवेदन दिया हुआ व्यक्ति निम्नलिखित दर से रांची नगर निगम को संयोजन शूल्क का भुगतान नहीं करता है।

विवरणी	**संयोजन शुल्क**	
निर्मित क्षेत्र	**गैर घरेलु**	**घरेलु**
100 वर्ग मीटर तक	रू0 1,000/–	रू0 200/–
101 वर्ग मी0 से 200 वर्ग मी0 तक	रू0 1,200/–	रू0 500/–
201 वर्ग मी0 से 400 वर्ग मी0 तक	रू0 1,500/–	रू0 700/–
400 वर्ग मी0 से अधिक	रू0 2,000/–	रू0 1,000/–

(घ) रांची नगर निगम द्वारा आवंटित होल्डिंग नं0, सुविधा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित मकान संख्या के अतिरिक्त **निम्नांकित कागजातों में से दो – एक आवासीय प्रमाण पत्र एवं दूसरा पहचान पत्र** के आधार पर जल संयोजन की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। –

(A) **आवासीय प्रमाण पत्र के लिए :–**

(i) आवेदक के नाम से विद्युत संयोजन संबंधी साक्ष्य।
(ii) आवेदक के नाम से दूरभाष विपत्र।
(iii) आवेदक के नाम से निर्गत मतदाता पहचान पत्र।
(iv) ड्राईविंग लाईसेंस
(v) राशन कार्ड
(vi) आवेदक के नाम से गैस कनेक्शन संबंधी साक्ष्य।
(vii) संबंधित जमीन का विक्रय पत्र दाखिल खारिज कागजात के साथ।

(B) **पहचान पत्र के लिए :–**

(i) आवेदक के नाम से निर्गत आधार कार्ड।
(ii) पासपोर्ट
(iii) बैंक / पोस्ट ऑफिस का खाता का पास बुक
(iv) पैन कार्ड
(v) सरकारी कार्यालायों द्वारा कार्यरत सरकारी कर्मचारी को निर्गत पहचान पत्र

साथ ही –

- वाणिज्यक जल संयोजन हेतु व्यापार से संबंधित निगम के द्वारा निर्गत व्यापार निबंधन कागजात एवं व्यापार के मालिक का पहचान पत्र एवं
- संस्थागत् जल संयोजन हेतु संबंधित संस्था के प्रधान द्वारा Letter Head पर आवेदन पत्र एवं अन्य संबंधित कागजात।

उपरोक्त कंडिका 3 (घ) की श्रेणी में आने वाले आवेदक को एक सादे कागज में रांची नगर निगम द्वारा निर्गत शपथ पत्र देना होगा, कि वे उस मकान में

(a) किरायेदार (मकान मालिक का सहमति पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत),

(b) लीजधारक या,

(c) भूमि का विधिवत् स्वामित्व प्राप्त है, परन्तु किसी कारणवश मकान का नक्शा निगम से स्वीकृत नहीं हैया,

(d) भूमि का विधिवत् स्वामित्व नहीं है परंतु उक्त मकान उनके द्वारा निर्मित है और उस पर उनका शांतिपूर्ण दखल कब्जा है या,

(e) मकान का आपसी बंटवारा अन्य हिस्सेदारों के द्वारा हो चुका है परन्तु अलग होल्डिंग संख्या अबतक नहीं प्राप्त किये गये है। (आपसी बंटवारा का साक्ष्य)

(f) विवादित भवनों में जल संयोजन नहीं दिया जाएगा।

(घ) **बहुमंजिली इमारत में जल संयोजन हेतु अपार्टमेन्ट के सचिव/Society द्वारा आवेदन पत्र के साथ नगर निगम से निर्गत् Occupancy Certificate की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।**

(ङ) धारा – 3(घ) की कंडिका –[**A** – (i) to (vii)] एवं [**B** – (i) to (v)] साथ ही वाणिज्यक तथा संस्थागत के अधीन जल संयोजन प्रदान करने की अनुमति देने का अर्थ मकान या जमीन का स्वामित्व निर्धारित नहीं होगा। बल्कि यह सिर्फ जल संयोजन एवं जल प्रभार प्राप्त करने के लिए होगा।

(च) निजी बहुमंजिली ईमारतों में अगर आपसी बंटवारा के बाद अपने अपने हिस्से का अलग अलग होल्डिंग कराया हो या रजिस्टर्ड बंटवारा का डीड रहे या आपसी बंटवारा का सहमति पत्र हो तो प्रत्येक तल/भाग के लिए अलग अलग जल संयोजन दिया जाएगा।

4 **वितरण पाईप से सभी जल संयोजन Water-Meter युक्त होंगे।**

5. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फेरूल की माप निम्न से ज्यादा नहीं होगी,

निर्मित क्षेत्र	**फेरूल का व्यास**
100 वर्ग मी0 से कम	06 एम0 एम0
100वर्ग मी0 से ज्यादा तथा 200वर्ग मी0 से कम	10 एम0 एम0
200वर्ग मी0 से ज्यादा 400 वर्ग मी0 से कम	12 एम0 एम0
400 वर्ग मी0 से ज्यादा	16 एम0 एम0

रांची नगर निगम, जलापूर्ति शाखा द्वारा प्राधिकृत किसी भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा इन मानकों में परिवर्तन बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा।

6. **(क)** उपभोक्ताओं द्वारा जल–दर (Water User Charge) निम्नवत् देय होगा। Water - Meter बंद हो जाने पर इसके बदलने की जवाबदेही उपभोक्ता की होगी, अन्यथा औसत पठन से 25% पठन बढ़ाकर जल–कर देय होगा। छः माह बाद जल संयोजन काट दिया जाएगा।

क्रमांक	प्रकार	संयोजन चार्ज	जल चार्ज
1	घरेलु दोनों ही एकांगी एवं बहु मंजिलि इमारत	3 (ग) के अनुरूप	6/– रू0 प्रति कि0 ली0
2	संस्थागत/सरकारी	5,000/– रू0	रू0 10/– प्रति कि0 ली0
3	वाणिज्यिक	6,000/– रू0	रू0 15/– प्रति कि0 ली0
4	**औद्योगिक**		
(क)	एस0एस0आई0 यूनिट	6,000/– रू0	रू0 15/– प्रति कि0 ली0
(ख)	लघु उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उद्योग	10,000/– रू0	रू0 20/– प्रति कि0 ली0

(ख) पूर्व से बिना मीटर के लगे सभी जल संयोजनों को भी उपभोक्ता को स्वयं के खर्च एवं पंसद का वाटर मीटर दिनांक : 31.12.2015 तक लगाना बाध्यकारी होगा, जिससे उपभोक्ता द्वारा विपत्र मिलने पर, जलापूर्ति नहीं मिलने की शिकायत का स्वतः समाधान हो जाएगा। Transition Period में होल्डिंग से सम्बन्धित मांग पंजी में उल्लेखित निर्मित क्षेत्रफल के आधार पर जल–दर निम्न प्रकार से देय होगा। –

निर्मित क्षेत्र	जल दर
100 वर्ग मीटर तक	रू0 200/– प्रति माह
101 वर्ग मी0 से 200 वर्ग मी0 तक	रू0 300/– प्रति माह
201 वर्ग मी0 से 400 वर्ग मी0 तक	रू0 500/– प्रति माह
400 वर्ग मी0 से अधिक	रू0 750/– प्रति माह

(2) उपभोक्ता को निर्धारित तिथि के अन्दर जल कर विपत्र का भुगतान करना अनिवार्य होगा अन्यथा 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज लगाया जायगा। यह ब्याज निर्धारित तिथि के बाद की अगली तिथि से माह की गणना होगी एवं 01 दिन के विलम्ब को भी एक माह का विलम्ब माना जायेगा।

(3) तीन महीनों तक विपत्र का भुगतान नहीं करने पर जल संयोजन काट दिया जायगा तथा पुर्न संयोजन हेतु अद्यतन जल कर भूगतान के साथ 1000/–रू0 अधिभार देना होगा ।

(ग) उपरोक्त (क) एवं (ख) में अंकित जल कर प्रत्येक तीन वर्ष पर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए मार्च' 13 के थोक मुल्य सूचकांक को Base Value माना जाएगा।

7. <u>जल संयोजन का नामांतरण</u>

यदि गृह स्वामी का नामांतरण होता है तब नया गृह स्वामी जल संयोजन का नामांतरण हेतु 500/–रू0 शुल्क के साथ सादा कागज पर यथा निम्न दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ एक आवेदन देगा :

(i) दाखिल खारिज नामांतरण,

(ii) विक्रय पत्र ,

(iii) शपथ – पत्र

(iv) अन्य कोई संबंधित कागजात,

8. **अनाधिकृत जल संयोजन का विनियमन**

(क) रांची नगर निगम, जलापूर्ति शाखा द्वारा वर्त्तमान में अनाधिकृत जल संयोजनों को इस निमित्त दिनांक : 31.12.2015 के पूर्व निम्न शुल्क के साथ आवेदन लेकर नियमित या वैध किया जा सकेगा।

(i) दण्ड 1,000/– रू0

(ii) संयोजन शुल्क जैसा कि नियम 03 एवं 10 में वर्णित है अन्य सभी आवश्यक कागजातों के साथ।

(ख) रांची नगर निगम, जलापूर्ति शाखा द्वारा अधिसूचित तिथि के पूर्व विनियमन नहीं करने वाले गृहस्वामियों का जल संयोजन काटने के साथ उनके विरूद्ध झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की सूसंगत धाराओं के तहत् दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गृह स्वामी और अध्यासी संयुक्त रूप से या अलग–अलग भी अपराध के भागी होंगे। साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 600 एवं 607 के तहत् आर्थिक दण्ड सहित मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

9. **पूर्व से बिना मीटर के लगे सभी जल संयोजनों में भी उपभोक्ता को स्व्यं के खर्च एवं पसंद का I.S.I. Water Meter लगाना अनिवार्य होगा।** इसके लिए पूर्व के उपभोक्ताओं को अद्यतन जलकर जमा करना होगा। तदोपरान्त् वाटर मीटर लगाने के लिए आवेदक सादे कागज पर अपना अभ्यावेदन देंगे, जिसपर रांची नगर निगम अभियंता स्वीकृति प्रदान करेंगे तथा आवेदक स्वयं के खर्च पर अपना वाटर मीटर खरीदकर रांची नगर निगम अभियंता से मीटर कार्ड निर्गत कराऐंगे। संयोजन शुल्क में अगर अंतर होगा तब अंतर राशि की भरपायी उपभोक्ता करेंगे।

10. रांची नगर निगम के अभियंता के पूर्वानुमति के बिना सार्वजनिक पथ के निकट स्टैन्ड पोस्ट/चापाकल नहीं लगाये जायेंगे जबतक कि छिड़के हुए जल के बहाव का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित नही हो जाए। परन्तु स्थानीय निकाय के निर्देश पर सार्वजनिक सड़क के निकट स्टैन्ड पोस्ट लगाए जा सकेंगे ।

11. **कठिनाई को दुर करने की शक्ति :–** यदि इन नियमों को लागू करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त होगा कि वह इस मामले में इन नियमों के सारतत्व को प्रभावित किए बिना कोई निर्देश जारी कर सकेगा।

12. **सभी जल संयोजन धारकों को होल्डिंग के साथ वसूले जा रहे जलकर के अतिरिक्त कंडिका 06 में वर्णित दर से जल दर का भुगतान करना अनिवार्य है।**

13. इस उप नियम के प्रवृत होने के पूर्व एवं झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अधिसूचना तिथि के मध्य यथा झारखण्ड सरकार नगर विकास विभाग के अधिसूचना संख्या – 1624, दिनांक : 31.05.2006 तथा रांची नगर निगम जल प्रभार एवं गृह जल संयोजन उप नियम – 2013 के अधीन किये गये सभी कर्त्वयों, कृत्यों एवं जल शुल्क (Water User Charges) की वसूली आदि सभी कार्यो को वैध किया जाता है।

पार्ट – ।।

झारखण्ड सरकार, नगर विकास विभाग के निर्गत् संकल्प – पत्रांक – 5/न0वि0/जला0–01/2015, ज्ञापांक – 904, दिनांक : 13.03.2015 के कंडिका – 03 में यह उद्धरित है कि –

जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरूत्थान मिशन (JnNURM) अन्तर्गत् स्वीकृत केन्द्र प्रायोजित योजनओं के प्राक्कलन में House to House Connection की राशि का प्रावधान किया जाता रहा है। JnNURM की भाँति राज्य योजनान्तर्गत् संचालित जलापूर्ति योजनाओं में House to House Connection का समावेश किये जाने एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी नागरिकों को जल संयोजन शुल्क माफ करने का मामला सरकार के विचाराधीन था। सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि –

(क) गरीबी रेखा से उपर जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार (House Hold) (APL) को जल संयोजन शुल्क के रूप में 4,000/– रूपये (One Time) Charge के रूप में जमा करना होगा। APL से वसूली गई राशि राज्य सरकार के राजस्व में जमा किया जायेगा।

(ख) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (House Hold) (BPL) के लिए जल संयोजन निःशुल्क होगा।

(ग) APL/BPL द्वारा जलदर जमा करना होगा जो त्रैमासिक होगा तथा इस राशि को संबंधित नगर निकाय अपने म्युनिशिपल एकाउंट में जमा करेंगे जिसे वे जलापूर्ति योजना के रख – रखाव (O & M) पर व्यय करेंगे।

गरीब परिवारों को भी जल संयोजन हेतु निकाय द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में आवेदन करना होगा तथा निकाय द्वारा निर्धारित जलदर का भुगतान करना पड़ेगा।

इस क्रम में –

1. JnNURM / Missing Link के तहत् बिछने वाली नई पाईप लाईनों से जल संयोजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया पूर्ववत् ही रहेगी।
2. (क) जल संयोजन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित आवेदन दिया हुआ व्यक्ति निम्नलिखित दर से रांची नगर निगम को संयोजन शूल्क का भुगतान नहीं करता है।

विवरणी	**संयोजन शुल्क**	
निर्मित क्षेत्र	**B.P.L. House Hold**	**A.P.L. House Hold**
00 वर्ग मीटर से 400 वर्ग मीटर तक या उससे अधिक।	निःशुल्क	रू0 4,000/– (One Time)

(ख) Processing Fee के रूप में उपभोक्ताओं (APL/BPL सभी) को अतिरिक्त रू0 500/– जमा करना है।

3. APL से वसूली गई जल संयोजन की राशि राज्य सरकार के राजस्व में जमा किया जायेगा।

4. APL एवं BPL दोनो को जल–दर (Water User Charge) त्रैमासिक (तिमाही) जमा करना होगा। इस राशि को रांची नगर निगम अपने म्युनिसिपल एकाउंट में अलग से खाता खोलकर रखेंगे जिससे वे जलापूर्ति योजना के रख–रखाव (O & M) पर ब्यय करेंगे।

5. <u>वितरण पाईप से संयोजन निम्न द्वारा किया जा सकेगा :–</u>

(क) उपभोक्ता के मुख्य द्वार तक जल संयोजन, सभी सामग्रियों (यथाः– फेरूल, वाटर मीटर, पाईप {Pipe Length -10.00 Mtr. Only}, फूलवे भाल्व) सहित कार्यकारी एजेंसी (संबंधित पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डलों) द्वारा किया जाएगा।

(ख) सभी जल संयोजन Water-Meter युक्त होंगे।

6. (I) उपभोक्ता को निर्धारित तिथि के अन्दर जल कर विपत्र का भुगतान करना अनिवार्य होगा अन्यथा 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज लगाया जायगा। यह ब्याज निर्धारित तिथि के बाद की अगली तिथि से माह की गणना होगी एवं 01 दिन के विलम्ब को भी एक माह का विलम्ब माना जायेगा।

(II) तीन महीनों तक विपत्र का भुगतान नहीं करने पर जल संयोजन काट दिया जायगा तथा पुर्न संयोजन हेतु अद्यतन जल कर भूगतान के साथ 1000/–रू0 अधिभार देना होगा ।

(III) पूर्व उप नियम – 2013 के कंडिका – 10 (क) एवं (ख) में अंकित जल कर प्रत्येक तीन वर्ष पर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए मार्च' 13 के थोक मुल्य सूचकांक को Base Value माना जाएगा।

7. पुराने जलापूर्ति पाईप लाईन से जल संयोजन लेने में उपनियम 2013 के अुनसार एवं नये पाईप लाईन जिसका उल्लेख इस उपनियम के पार्ट – || में उद्धरत है, के अनुसार लागू रहेगा।

<u>उपरोक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ निम्न प्रस्ताव पर भी स्वीकृति प्रदान की गई –</u>

1. उपभोक्ताओं से जल–दर त्रैमासिक लिया जायेगा।
2. प्रत्येक त्रैमासिक भुगतान के साथ न्यूनतम 02 वर्षों का पूर्व का बकाया जल–दर लिया जायेगा।
3. यदि कोई उपभोक्ता अपने पूर्व का बकाया जल–दर एक मुस्त में देना चाहेंगे तो लिया जायेग।
4. वाटर मीटर के साथ जल संयोजन स्वीकृत होने पर उपभोक्ता द्वारा जल संयोजन के समय वाटर मीटर नहीं लगाने एवं अन्य उपभोक्ता के द्वारा भी जल मीटर जब तक नहीं लगाये जाते है तब तक जल दर (Fixed rate) पर 10% Penalty (दंड शुल्क) के साथ भुगतान करना पड़ेगा।

उपभोक्ता स्वयं वाटर मीटर अधिष्ठापित करेगी जिसे निगम स्वीकार करेगी तत्पश्चात् इसे M/s Sparrow Softech Pvt. Ltd., Ranchi को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5. Notary Public के हस्ताक्षर से बना शपथ पत्र के स्थान पर रांची नगर निगम द्वारा निर्धारित शपथ पत्र प्रारूप को भरकर अपने हस्ताक्षर के साथ जमा करना है।

यह संशोधित उपनियम दिनांक 01/07/2015 से प्रभावी रहेगा।